

भारत सरकार,
केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग,
महानिदेशालय, आर.टी.आई.सैल,
206-'ए'निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011
फोन नं. 011-23061970



Government of India,
Central Public Work Department
Directorate General, RTI Cell,
206-'A' Nirman Bhawan, New Delhi-
Phone No. 011-23061970

संख्या. 143/2024/आर.टी.आई.सैल/महानिदेशालय/ 533-35

दिनांक. 12/8/2024

सेवा में,

नोडल अधिकारी
मुख्य अभियंता (डब्ल्यू कम टी एल क्यू ए),
कार्यालय अपर महानिदेशक (परि.क्षे.दि.)
के.लो.नि.वि., प्रथम तल, कमरा संख्या-115
सेवा भवन, आर.के.पुरम, नई दिल्ली-110066

विषय: सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत Shri. Kareem Ansari द्वारा सूचना प्राप्त करने के बारे में।

Shri. Kareem Ansari, Hyderabad से प्राप्त आर.टी.आई आवेदन दिनांक 05.08.2024 जोकि इस कार्यालय में डायरी संख्या 1150 (E) दिनांक 12.08.2024 के द्वारा प्राप्त हुआ है, इस पत्र के साथ संलग्न है।

- (ii) क्योंकि यह सूचना आपके कार्यक्षेत्र के अधीन है, अतः सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के सैक्शन 6(3) के अर्न्तगत उपरोक्त आवेदन आपको जन सूचना अधिकारी के रूप में स्थानांतरित किये जाते हैं। यह मामला सूचना अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है, अतः आपसे अनुरोध है कि वांछित सूचना आप सीधे आवेदक को सूचना अधिकार अधिनियम 2005 द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर भेजना स्वयं सुनिश्चित करें।
- (iii) आवेदन का कोई हिस्सा अगर आपके क्षेत्र में न हो तो वह सूचना जिसकी विषय वस्तु किसी अन्य जन सूचना अधिकारी के कृत्यों से अधिक निकट रूप से संबंधित हो वहाँ स्थानांतरित करें और आवेदक को भी कृपया उसकी सूचना देने का कष्ट करें।
- (iv) कृपया ध्यान दें कि आवेदक को सूचना भेजने में देरी अथवा सूचना को न भेजने की जिम्मेवारी सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत आप की होगी।
- (v) आर.टी.आई.सैल, निर्माण भवन से पत्राचार के लिए इस मामले की उपरोक्त फाईल सं. 143/2024/आर.टी.आई.सैल/ महानिदेशालय का Reference अवश्य दें।
रूपये 10/- का आवेदन शुल्क आवेदक ने जमा कर दिया है।

(प्रमोद कुमार शर्मा)
कार्यपालक अभियन्ता (आर.टी.आई) एवं
सहायक जन सूचना अधिकारी (संमन्वय)

संलग्नक: उपरोक्तानुसार
प्रति:-

1. Shri. Kareem Ansari, Yugantar (BT6J7E5N), 3-4-142/6, Barkatpura, Hyderabad -500027 आपसे अनुरोध है कि वांछित सूचना प्राप्त करने के लिए अथवा वांछित सूचना प्राप्त न होने पर सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के धारा 19(1) के तहत अपीलीय प्राधिकारी, अपर महानिदेशक (परि. क्षेत्र दिल्ली), कार्यालय मुख्य अभियंता (डब्ल्यू कम टी एल क्यू ए), के.लो.नि.वि., प्रथम तल, सेवा भवन आर. के. पुरम, नई दिल्ली-110066 से अपील की जा सकती है।
2. अनुभाग अधिकारी (रोकड), निर्माण महानिदेशालय, के.लो.नि.वि. निर्माण भवन, नई दिल्ली को रूपये 10/- मात्र के मूल पोस्टल आर्डर संख्या 62F 074123 सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(प्रमोद कुमार शर्मा)
कार्यपालक अभियन्ता (आर.टी.आई)